



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237785
CG-DL-E-01082022-237785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3397]
No. 3397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3562(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 151 से कि.मी.187 (डेपडूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 151 से कि.मी.187 (डेप्यूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: रामबाण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बनिहाल					
गांव का नाम: देवगोले					
1	507/89 Min	सरकारी	गै.मु. नाला	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
गांव का नाम: नगम					
1	645	निजी	आबी, गै.मु. बट्टो	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
2	650	निजी	गै.मु. बट्टो	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
3	651	निजी	आबी, गै.मु. बट्टो	0.0505000(हेक्टेयर)	0.0505000
4	652	निजी	आबी	0.1239000(हेक्टेयर)	0.1239000
5	653	निजी	आबी	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
6	657	निजी	गै.मु. नाला	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
7	667	निजी	गै.मु. नाला	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
8	668	निजी	गै.मु. नाला	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
9	883/648/1	निजी	गै.मु. बट्टो	0.0151000(हेक्टेयर)	0.0151000
10	992/647	निजी	आबी, गै.मु. बन्ना	0.0961000(हेक्टेयर)	0.0961000
कुल				0.4370	0.4370

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

S. O. 3562(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km. 151 to Km. 187 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 151 to Km. 187 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: RAMBAN		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Banihal					
Village: Devgole					
1	507/89 Min	Government	G.M. Naala	0.0075000(Hectare)	0.0075000
Village: Nagam					
1	645	Private	Aabi, G.M. Batto	0.0278000(Hectare)	0.0278000
2	650	Private	G.M. Batto	0.0075000(Hectare)	0.0075000
3	651	Private	Aabi, G.M. Batto	0.0505000(Hectare)	0.0505000
4	652	Private	Aabi	0.1239000(Hectare)	0.1239000
5	653	Private	Aabi	0.0050000(Hectare)	0.0050000
6	657	Private	G.M. Naala	0.0809000(Hectare)	0.0809000
7	667	Private	G.M. Naala	0.0126000(Hectare)	0.0126000
8	668	Private	G.M. Naala	0.0101000(Hectare)	0.0101000
9	883/648/1	Private	G.M. Batto	0.0151000(Hectare)	0.0151000
10	992/647	Private	Aabi, G.M. Banna	0.0961000(Hectare)	0.0961000
Total				0.4370	0.4370

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/3A]

RAJESH GUPTA, Director